फैक्ट सीट

1–परियोजना का नाम – मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या 23/2019 ट्रान्सपोर्ट नगर रोड से केशवपुरम बस्ती तक मार्ग निमार्ण।

2–प्रभावित भूमि का वैधानिक स्थिति के अनुसार क्षेत्रफल(है0 में)–

आरक्षित वन भूमि	–	0.074 है0
सिविल एंव सोयम वन भूमि	–	–
वन पचायंत भूमि	–	–
निजी भूमि	–	–
योग	–	**0.074 है0**

3– प्रस्तावक विभाग का नाम – ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड नैनीताल

4– वन प्रभाग का नाम – तराई केन्द्रीय वन प्रभाग रूद्रपुर।

5– प्रस्ताव बाइडिंग किया गया है– हॉ/नहीं

6– प्रस्ताव में विषय सूची भरी गयी है– हॉ/नहीं

7– क्या भारत सरकार के प्रारुप के भाग–1, 2, व 3 के सभी बिन्दुओं की सूचना भरी गयी है– हॉ/नहीं

8– क्या प्रारुप में वाछिंत स्थानों पर दिनांक व स्थान भरा गया है– हॉ/नहीं

9– प्रस्तावित क्षेत्र की हरियाली का घनत्व दर्शाया गया है– हॉ/नहीं

10–प्रभावित होने वाले वृक्षों के सख्यां की सूची/प्रमाण पत्र सलग्न है– हॉ/नहीं

11–बांज प्रजातियों के वृक्षों के प्रभावित होने की दशा में सम्बन्धित वन सरंक्षक का स्थलीय निरीक्षण प्रमाण–पत्र सलग्न है– (उक्त निमार्ण में कोई भी बांज प्रजाति का वृक्ष प्रभावित नहीं हो रहा है)

12–प्रभावित होने वाले वृक्षों की सख्यां यदि अत्यधिक है तो प्रस्तावक विभाग द्वारा उन्हें कम करने का क्या प्रयास किया गया है– ~~हॉ/नहीं~~ (प्रस्तावित वन भूमि वृक्ष विहीन है)

13–समरेखण में आने वाले कुल वृक्षों की सख्यां व वास्तविक रुप से काटे जाने वाले वृक्षों की सूची सलग्न है– (प्रस्तावित वन भूमि वृक्ष विहीन है) हॉ/नहीं

14–क्या वृक्षों की सख्या के अनुसार हरियाली का घनत्व सही है– हॉ/नहीं

15–क्या क्षतिपूरक वृक्षारोपण की विस्तृत योजना मय स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र सहित प्रस्ताव में सलग्न है– ~~हॉ/नहीं~~ (लागू नहीं)

16–क्या मानचित्र में क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल को दर्शाया गया है– लागू नहीं।

17–प्रस्तावित मार्ग के दोनो ओर परियोजना के आस–पास रिक्त पड़े स्थानों की वृक्षारोपण योजना सलग्न है– हॉ/नहीं

18–क्या परियोजना क्षेत्र वन्य जीवों के सरंक्षण की दृष्टी से महत्वपूर्ण है– हॉ/नहीं

19–प्रस्तावित क्षेत्र हाथी केरेडोर का हिस्सा है– हॉ/नहीं

20–क्या प्रस्ताव का क्षेत्रफल सभी प्रपत्रों में सही भरा गया है– हॉ/नहीं

21–प्रस्तावित मार्ग नया प्रस्तावित है अथवा पूर्व निर्मित मार्ग से आगे निमार्ण किया जाना है– नया है हॉ / नहीं

22–क्या मानचित्र में प्रभावित विभिन्न प्रकार की भूमि को अलग–अलग रगों से भरा गया है– हॉ / नहीं

23–यदि सड़क का आरम्भिक बिन्दु किसी मार्ग से निकलता है तो उस मार्ग को मानचित्र पर दर्शाया गया है। हॉ / नहीं

24–क्या प्रस्तावित परियोजना में वन (सरंक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लघन हुआ है– हॉ / नहीं

25–यदि उल्लघन हुआ है तो पूर्ण स्थिति वर्णित करते हुये अधिकारियों / कर्मचारियों के नाम एवं उनके विरुद्ध की गयी कार्यवाही का विवरण सलग्न किया जाय। लागू नहीं

26–सड़क निमार्ण हेतु तलाशी गयी अन्य सम्भावनायें / वैकल्पिक समरेखणं मानचित्र पर दर्शायें गये हैं– हॉ / नहीं

27–वैकल्पिक समरेखण को निरस्त करने का कारण संलग्न है।

28–लागत लाभ विश्लेषण मात्रात्मक रुप में प्रस्तुत है– (5 है0 से अधिक के प्रकरण में लागू होगा) हॉ / नहीं

29–मानचित्र व बार चार्ट में एकरुपता है– हॉ / नहीं

30–मलवे की योजना मय मानचित्र के सलग्न है–
अथवा
मलवे के निस्तारण के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र सलग्न है– संलग्न है।

31–राज्य सरकार द्वारा लगायी जाने वाली शर्तों का प्रमाण--पत्र प्रस्ताव में सलग्न है– हॉ / नहीं

32–क्या प्रस्ताव में सलग्न प्रमाण–पत्रों की फोटो प्रतियॉ मूल में सलग्न हैं–
(यदि छायाप्रतियॉ सलंग्न की गयी हैं तो क्या वे सत्यापित हैं) हॉ / नहीं

33–यदि वन भूमि लीज पर दी जानी है तो लीज अवधि का प्रमाण–पत्र सलग्न है– लागू नही

34–वित्तिय प्रशासनिक / स्वीकृति सलग्न है– हॉ / नहीं

35–क्या प्रस्ताव के सभी प्रमाण–पत्रों में परियोजना का नाम अकिंत है– हॉ / नहीं

36–क्या चैक लिस्ट के अनुसार सभी प्रमाण–पत्र सलग्न है– हॉ / नहीं

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्ताव उक्त फैक्ट सीट एंव चैक लिस्ट के अनुसार गठित किया गया है व समस्त प्रमाण–पत्र / सूचनायें सलग्न कर दी गयी हैं।

अधिशासी अभियन्ता
ग्रामीण निर्माण विभाग
प्रखण्ड - नैनीताल

सहायक अभियन्ता
ग्रामीण निर्माण विभाग
उपखण्ड-हल्द्वानी